

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
(श्री कुशल कुमार कोठारी, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

(GCMS No. - 2021/69)

प्रकरण संख्या :- 01/2021 (गुण्डा एक्ट)
दायर दिनांक :- 10.06.2021
निर्णय दिनांक :- 05.08.2021

अनवान

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द

-----प्रार्थी

बनाम

श्री चतरलाल पिता श्री किशनलाल रेगर निवासी रेगर मोहल्ला
पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द

-----अप्रार्थी, गे०सा०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :-

- 1- श्री कपिल व्यास अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट
- 2- सहायक लोक अभियोजक

--: निर्णय :-

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांक:एफ17/4(7)अअसा/2011/1527 दिनांक 01-03-2011 के अनुसरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी/गे०सा० के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । गेरसायल/अप्रार्थी के विरुद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईतल्ला रिपोर्ट पुलिस थाना राजनगर में दर्ज हुई है :-

क्र.सं.	प्र०सं०	जुर्मधारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	116/2017	19/54 आबकारी एक्ट	चार्ज शीट नम्बर 88/19.5.2017	सजा 28.06.2017
2	109/2018	19/54 आबकारी एक्ट	चार्ज शीट नम्बर 76/25.05.2018	सजा 14.02.2020



गैरसायल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया । गैर सायल मय अधिवक्ता उपस्थित । गैर सायल को दिनांक 05.08.2021 को नोटिस सुनाया गया । गैर सायल द्वारा 5,000/- रुपये के जमानत मुचलके पेश किया गये । गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.08.2021 को जबाब पेश कर बहस की गई ।

गैर सायल ने निवेदन किया गया कि गलत रूपेण कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया है, गैर सायल के विरुद्ध जिन प्रकरणों का नोटिस जारी किया गया है। वे दोनों प्रकरण लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार कर लेने से सजा हुई है। गैर सायल अब भविष्य में ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा । गैर सायल के विरुद्ध की गई कार्यवाही को ड्रॉप फरमाना न्यायहित में आवश्यक है। गैर सायल द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जिससे कि जन सामान्य की सुरक्षा को कोई खतरा हो और गैर सायल न ही आदतन अपराधी है। गैरसायल के विरुद्ध चलाई जा रहीं उपरोक्त कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 को ड्रॉप फरमाई जावें।

सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि गैर सायल के विरुद्ध 19/54 एक्सार्जिज एक्ट के दो प्रकरण दर्ज किये गये हैं दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सजा हुई है। इस कारण गैर सायल धारा 2 (बी) के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है । अतः गैर सायल को जिला बदर किया जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । 19/54 एक्सार्जिज एक्ट के अन्तर्गत कोई व्यक्ति 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध किया जा चुका है तो वह गुण्डा की परिभाषा में आता है । विपक्षी को 02 प्रकरणों में 19/54 एक्सार्जिज एक्ट के तहत दण्डित किया गया है। जिनकी नकल निर्णय पत्रावली में संलग्न है। अतः यह स्पष्ट है कि गैर सायल को न्यायालय द्वारा 19/54 एक्सार्जिज एक्ट के तहत 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध कर दण्डित किया गया है । पैरवी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रमाणों से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ । गैर सायल के ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है । गैर सायल को इन आरोपों के बचाव में साक्ष्य एवं प्रमाण पेश करने का समुचित व पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु गैर सायल ने इसके खण्डन में ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किये है, जिससे कि पैरवी पक्ष के प्रस्तुत आरोपों एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणों को न माना जा सके । गैर सायल के विरुद्ध प्रथम दृष्टया गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर सायल चतरलाल पिता श्री किशनलाल रेगर निवासी रेगर मोहल्ला पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध होने से इन्हें सात दिन के लिए जिला राजसमन्द की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है कि वह बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के सात दिन तक जिला राजसमन्द में प्रवेश नहीं करें। जिले से निष्कासन के दौरान गैर सायल प्रत्येक तीन दिवस को



(Handwritten signature)

पुलिस स्टेशन मावली जिला उदयपुर में अपनी उपस्थित दर्ज करायेगा। यह आदेश गैर सायल की पुलिस मावली जिला उदयपुर में प्रथम उपस्थित तिथि से लागू होगा। गैर सायल की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी को भेजी जावे।



(कुशल कुमार कोठारी)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अति० जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द